क्रमांक 5197-3 जी0 एस0–II -74/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

निदेशक,
शिक्षा विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़ 24 अक्तूबर, 1974

विषय : सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान व अन्य सुविधाएं देना —पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति ।

महोदय,

हरियाणा सरकार ने उन कर्मचारियों के, जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई हो, के परिवार को सुविधायें देने संबंधी हरियाणा सरकार के परिपत्र संख्या 8453-3 जी0 एस0 II–72/37452 दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि हरियाणा सरकार के परिपत्र संख्या 9054-4 जी0 एस0-70/32230 दिनांक 22 दिसम्बर, 1970 की शर्तों के अनुसार हरियाणा, पंजाब तथा संघ क्षेत्र चण्डीगढ़ के सरकारी स्कूलों तथा कालेजों एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों/कालेजों में ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है । अब यह निर्णय किया गया है कि निःशुल्क शिक्षा का लाभ मृत कर्मचारियों के उन बच्चों को भी उपलब्ध होना चाहिये जो हरियाणा के निम्नलिखित पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं :–

1. पब्लिक हाई स्कूल, हिसार ।
2. एस0 ए0 जैन माण्डल स्कूल, अम्बाला शहर ।
3. होली चाइल्ड स्कूल, सोनीपत ।
4. हौप्पी नर्सरी मिडल स्कूल, जीन्द ।
5. सीनियर माडल स्कूल, कुरुक्षेत्र ।
6. सीनियर माडल स्कूल, फतेहाबाद (हिसार) ।
7. सतीश पब्लिक स्कूल, रिवाड़ी ।
8. पब्लिक हाई स्कूल, जुआं ।
9. दयानन्द माडल स्कूल, करनाल ।
10. सीनियर माडल स्कूल, कैथल ।
11. हरियाणा पब्लिक हाई स्कूल, गोहाना ।
12. पब्लिक मिडल स्कूल, फतेहाबाद ।

उपर्युक्त ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति अदा की गई वास्तविक ट्यूशन फीस तथा प्रयोगशाला फीस (यदि कोई है) अथवा प्रति मास 20 रुपये, जो भी कम हो, तक की जाएगी ।

भवदीय,
हस्ताक्षर,
अवर सचिव, न्यायाचार
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 5197-3 जी एस0–II 74/दिनांक चण्डीगढ़ 24 अक्तूबर, 1974